


## निर्णय

खेत खसरा नंबर 299/58 तादादी 2.1900 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ का कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन कर पश्चिमी 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादिनी के नाम दर्ज कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा में तरमीम करने व अलग लगान कायम करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।



  
(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

